

डिक्री बमुकदमें ईब्लदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 41/2020

ओमप्रकाश पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

---वादी

बनाम

- | | | |
|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. विनोद कुमार पुत्र हीराराम 2. प्रमोद कुमार पुत्र हीराराम 3. जगदीश प्रसाद पुत्र हीराराम 4. सुगना देवी पत्नी हीराराम 5. रामचन्द्र पुत्र भागीरथ 6. रामेश्वरी पत्नी मामराज 7. रानी देवी पुत्री मामराज पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी सलेमगढ़ मसानी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ (राज.) 8. कृष्णा देवी पुत्री मामराज पत्नी आदराम जाति जाट निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.) 9. भीमसिंह पुत्र शेरसिंह 10. पूनम पुत्री शेरसिंह 11. कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम 12. जगराज पुत्र धन्नाराम 13. विमला देवी पत्नी बृजलाल 14. सीमा पुत्री बृजलाल 15. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल 16. शिवकुमार पुत्र बृजलाल 17. सुशील कुमार पुत्र बृजलाल 18. ओबीसी बैंक खैरुवाला जरिये शाखा प्रबन्धक 19. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया | } | <p>जाति समस्त जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> 9. भीमसिंह पुत्र शेरसिंह 10. पूनम पुत्री शेरसिंह 11. कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम 12. जगराज पुत्र धन्नाराम 13. विमला देवी पत्नी बृजलाल 14. सीमा पुत्री बृजलाल 15. सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल 16. शिवकुमार पुत्र बृजलाल 17. सुशील कुमार पुत्र बृजलाल 18. ओबीसी बैंक खैरुवाला जरिये शाखा प्रबन्धक 19. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया | } | <p>जाति समस्त जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)</p> |

---प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 26.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीणा (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री भीम पारीक वकील वादी मिन जामिन मुदई व श्री महावीर बैरड़ वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2556 दिनांक 25.08.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारों अन्तिम डिक्री किया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

चक नं. 14 पी.टी.पी. खाता सं. 61/48 में कुल रकबा 8.105 है. में मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति :-

1. वादी ओमप्रकाश पुत्र हीराराम जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा पं.नं.115/137 मु.नं. 15 कि.नं. 2/0.126, 9/0.253, 12/0.114, 13/0.076, कुल रकबा 0.569 है. नहरी।
2. विनोद कुमार पुत्र हीराराम जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा पं.नं. 116/137 मु.नं. 16 कि.नं. 2/0.126, 3/0.126, 9/0.253, 10/0.063, कुल रकबा 0.568 है. नहरी।
3. प्रमोद कुमार पुत्र हीराराम जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा पं.नं. 116/137 मु.नं.16 कि.नं. 1/0.126, 10/0.190, 11/0.253, कुल रकबा 0.569 है. नहरी।
4. जगदीश प्रसाद पुत्र हीराराम जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा पं.नं. 115/137 मु.नं. 15 कि.नं. 3/0.139, 8/0.253, 13/0.177, कुल रकबा 0.569 है. नहरी।
5. रामेश्वरी पत्नी मामराज 1/3 हिस्सा, रानीदेवी पुत्री मामराज 1/3 हिस्सा, कृष्णादेवी पुत्री मामराज 1/3 हिस्सा, जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा पं.नं. 115/137 मु.नं. 15 कि.नं. 1/0.126, 10,11/0.253 है.प्र., 12/0.139 है., 19,20,21,22/0.253 है.प्र. पं.नं. 115/138 मु.नं. 20 कि.नं. 1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. गै.मु. खाला 10/0.253 है. कुल रकबा 2.289 है. नहरी मय गै.मु.।
6. रामचन्द्र पुत्र भागीरथ जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा पं.नं. 115/137 मु.नं.15 कि.नं. 4/0.126, 5/0.126, 6,7/0.253 है.प्र., 14,15,17,18,23,24/0.253 है.प्र. कुल रकबा 2.276 है. नहरी।
7. कृष्णलाल पुत्र धन्नाराम 1/3 हि. जगराज पुत्र धन्नाराम 1/3 हि. रहिन एचडीएफसी बैंक शाखा श्रीगंगानगर पूनम पुत्री शेरसिंह 1/6 हिस्सा भीमसिंह पुत्र शेरसिंह 1/6 हिस्सा रहिन पीएनबी बैंक शाखा खैरुवाला जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा प.नं. 113/138 मु.नं. 22 कि.नं. 3/1/0.228, 3/2/0.025 है. गै.मु. खाला 8,13,18/0.253 है.प्र. कुल रकबा 1.012 है. नहरी।
8. विमला पत्नी बृजलाल 1/5 हिस्सा शिवकुमार पुत्र बृजलाल 1/5 हिस्सा सुरेन्द्र कुमार पुत्र बृजलाल 1/5 हिस्सा सुशील कुमार पुत्र बृजलाल 1/5 हिस्सा सीमा पुत्री बृजलाल 1/5 हिस्सा जाति जाट सा. किशनपुरा उतराधा प.नं. 114/137 मु.नं. 14 कि.नं. 16/0.253 है. कुल रकबा 0.253 है. नहरी।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा काश्त के अभाव में नियमानुसार कलमजन किये जावे।

नोट :-यदि डिक्लीरत वादी/ प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अगल दरामद मुताबिक हक-हिस्सा किया जावे।

निज. ~~X~~ निल. ~~X~~ मुब्लिक. ~~X~~ निल. ~~X~~ बावत. ~~X~~ निल. ~~X~~ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक ~~X~~ को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26/2/2016 को जारी किया गया।



(राकेश कुमार गीना)
सहायक जज (नवराजपुरा)
उपखण्ड जज (नवराजपुरा)
गोरिया